

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनु
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2025/108

मुकदमा नम्बर 24/2025

दर्ज दिनांक- 10.03.2025

विद्याधर पुत्र रामपाल जाति मीणा निवासी टोडपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनु

—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

—अनावेदक

वकील आवेदक : — श्री विप्लव पण्डित

वकील अनावेदक :- पैरा. राज.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 07.07.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, राजस्व ग्राम टोंकछिलरी की सरहद में स्थित खाता सं.121 मे भूमि खसरा नं. 1160 रकबा 0.24 है, खसरा नं. 1194 रकबा 0.99 है0, खसरा नं. 1230 रकबा 2.62 है0, ख.नं. 1244 रकबा 1.60 है0, खसरा नं. 1245 रकबा 0.12 है0, खसरा नं. 1279/1192 रकबा 0.24 है0, ख. नं. 740 रकबा 0.60 है0, खसरा नं. 741 रकबा 0.03 है0, खसरा नं. 742 रकबा 0.61 है0, खसरा 756 रकबा 0.24 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 7.29 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बजरंग के स्थान पर विद्याधर तथा राजस्व ग्राम टोडपुरा पटवार हल्का टोडपुरा की सरहद में स्थित खाता सं. 11 की भूमि खसरा नं. 1674/380 रकबा 0.07 है0, ख.नं. 355 रकबा 0.31 है0, खसरा नं. 356 रकबा 0.48 है0, ख.नं. 360 रकबा 0.03 है0, ख.नं. 377 रकबा 0.03 है0, ख.नं. 378 रकबा 0.41 है0, ख.नं. 380 रकबा 0.69 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.02 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम विद्याधर के स्थान पर विद्याधर दुरुस्त किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2025/8460 दिनांक 17.06.2025 पेश हुई। जिसके अनुसार मजमे आम मे पुछताछ पर प्रार्थी का नाम बजरंग पुत्र रामपाल के स्थान पर विद्याधर पुत्र रामलाल सही किये जाने की रिपोर्ट पेश हुई है।

उपखण्ड अधिकारी


नवलगढ़

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगोर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों तथा तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम टोंकछिलरी की सरहद में स्थित खाता सं.121 में भूमि खसरा नं. 1160 रकबा 0.24 है, खसरा नं. 1194 रकबा 0.99 है, खसरा नं. 1230 रकबा 2.62 है, ख.नं. 1244 रकबा 1.60 है, खसरा नं. 1245 रकबा 0.12 है, खसरा नं. 1279/1192 रकबा 0.24 है, ख. नं. 740 रकबा 0.60 है, खसरा नं. 741 रकबा 0.03 है, खसरा नं. 742 रकबा 0.61 है, खसरा 756 रकबा 0.24 है, कुल कित्ता 10 कुल रकबा 7.29 है के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बजरंग के स्थान पर विद्याधर तथा राजस्व ग्राम टोडपुरा पटवार हल्का टोडपुरा की सरहद में स्थित खाता सं. 11 की भूमि खसरा नं. 1674/380 रकबा 0.07 है, ख.नं. 355 रकबा 0.31 है, खसरा नं. 356 रकबा 0.48 है, ख.नं. 360 रकबा 0.03 है, ख.नं. 377 रकबा 0.03 है, ख.नं. 378 रकबा 0.41 है, ख.नं. 380 रकबा 0.69 है कुल कित्ता 7 कुल रकबा 2.02 है के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम विधाधर के स्थान पर विद्याधर दुरुस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट क्रमांक/भूअ./2025/8460 दिनांक 17.06.2025 उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ़ राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला-झुंझुनू